

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.(5) 236 / निपेवि / 2012 / पट्टा / ३५६२-३६६२-५ दिनांक : २५-११-२०१५
परिपत्र

विषय :- पेंशनर के विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच समाप्त करने की कार्यवाही
तत्काल करने के सम्बन्ध में।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि जिन मामलों में सेवानिवृति के समय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित होती है, उन मामलों में प्रोविजनल पेंशन अधिकृत की जाती हैं, पेंशनर के पति/पत्नी के नाम प्रो० पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती है, जिसके कारण पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ नहीं होने पर पेंशनर के पति/पत्नी को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 61 (ख) एवं 90 के अन्तर्गत ऐसे मामलों में केवल 100 प्रतिशत प्रो० पेंशन अधिकृत करने का ही प्रावधान है। विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण निर्णित होने के बाद विभाग द्वारा अंतिम पेंशन प्रकरण भिजवाने पर पेंशन विभाग द्वारा सभी पेंशनरी लाभ अधिकृत किए जाते हैं जिनमे पारिवारिक पेंशन भी सम्मिलित है। विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण निर्णित होने से पूर्व पेंशनर की मृत्यु के मामलों में कार्मिक (क-३) विभाग के परिपत्र संख्या प.९ (२) (१५५) कार्मिक (क-३) / ९७ दिनांक १६.०३.१९९८ (प्रति संलग्न) द्वारा व्यादिष्ट किया गया है कि मृतक राज्य कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई जांच लम्बित हो तो उसे समाप्त करने की कार्यवाई की जावे, संयुक्त जांच की स्थिति में मृतक राज्य कर्मचारी के अलावा अन्य के विरुद्ध जांच कार्यवाई यथावत चालू रहेगी।

अतः पेंशनर की मृत्यु की सूचना मिलने पर कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के सन्दर्भ में अनुशासनिक अधिकारी को जांच समाप्त करने की कार्यवाई करने हेतु सूचना तत्काल भिजवाने तथा जांच समाप्त होने के उपरान्त शीघ्र अंतिम पेंशन प्रकरण भिजवाने की व्यवस्था की जावे ताकि पेंशनर के पति/पत्नी की पारिवारिक पेंशन यथा शीघ्र प्रारंभ हो सके।


भवदीय

संलग्न:-१ (पत्र के पीछे)

Eo
(के.के.गैडियोक)
निदेशक

क्रमांक : प.(5) 236 / निपेवि / 2012 / पट्टा / ३५६२-३६६२-५ दिनांक : २५-११-२०१५
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव.....
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त जिला कलेक्टर्स.....


निदेशक

708

राजस्थान सरकार
कार्मिक (का-३) विभाग

16 MAR 1998

क्रमांक: प. ४(२)(१५५)कार्मिक/का-३/९७

जयपुर, दिनांक:

प्रति प्रश्न

समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव,
समस्त विशेष शासन सचिव,
समस्त संभागीय अधिकारी,
समस्त विभागाध्यक्ष (भय समस्त जिला कलक्षट्ट)

विषय:- मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध जाच को समाप्त करने के क्रम से।

शासन के द्वारा मृत्यु में लाया गया है यदि राज्य कर्मचारी/ अधिकारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी काफी समय तक उनके विरुद्ध जाच को समाप्त नहीं किया जाता है, जिससे राज्य कर्मचारी/ अधिकारी की आक्रितों को पेशन प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है।

इस परिपत्र के द्वारा समस्त सम्बन्धितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई जाच लम्बित हो तो उसे तकाल समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई करें, परन्तु एक से अधिक कर्मचारियों/ अधिकारियों की संयुक्त जाच होने की स्थिति में मृत राज्य सेवक के अलावा अन्य के संदर्भ में जाच कार्रवाई यथावत् रहेगी।

शासन उप सचिव
निरेशालय पेशन एवं प्रकाशन बोर्ड, जयपुर

13049

गोप्य १५०८८ के विनाश के
संबंध में निम्न शासन के द्वारा अनुदान
मुद्दे विवादों में विवाद

की जा सकती। मत्रा के मामलों में मत्रा की सच्चाना मिलने

